International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा के विकास में योगदान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Surender
MA in History, MDU Rohtak
Reg. No. 03-CHM-200, Email : aryasiwach@gmail.com

शोध–आलेख सार : *भारत में प्रचीन काल से ही लोग शिक्षा प्राप्त करने में अत्यधिक रूचि लेते थे। यहां की प्राचीन गुरूकुल शिक्षा पद्धति तथा तक्षशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। मध्यकाल में संस्कृत भाषा के साथ–साथ अरबी या फारसी भाषा का भी बहुत विकास हुआ, परन्तु भारत में कम्पनी के शासन की स्थापना के पश्चात् शिक्षा के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुए। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों ने शिक्षा के प्रसार में गहरी रूचि ली। वारेन हेस्टिंग्ज ने 1781 ई0 में कलकता में इस्लाम धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए एक कॉलेज खोला। 1791 ई0 में बनारस में कंपनी के रेजीडेंट जोनाथन डंकन ने एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, परन्तु कंपनी अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ–साथ अंग्रेजों को आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। उनका मानना था कि भारतीयों को उनके शासकों की भाषा सीखनी चाहिए ताकि उन्हें प्रशासन चलाने के लिए सरकारी सेवाओं के लिए भारतीय कर्मचारी प्राप्त हो सकें। अतः अंग्रेजी शिक्षा के अध्ययन को जरूरी माना जाने लगा। राजा राममोहन राय जैसे अनेकों भारतीय भी अंगेजी शिक्षा सीखने के इच्छुक थे।*

मुख्य–शब्द : प्राचीन गुरूकुल शिक्षा पद्धति तथा तक्षशिला एवं नालंदा, कम्पनी के शासन, शिक्षा के प्रसार, अंगेजी शिक्षा ।

भूमिका : 1813 ई0 के चार्टर एक्ट से पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में एक नया युग आरम्भ हुआ। इस एक्ट के अनुसार शिक्षा का प्रतिवर्ष खर्च करने के लिए एक लाख रूपये का प्रावधान किया गया, परन्तु इसी समय प्राच्यवादियों और आंग्लवादियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। प्राच्यवादी संस्कृत तथा अरबी या फारसी भाषा के पक्ष में थें जबकि आंग्लवादी भारत में अंग्रेजी भाषा पर चार्टर एक्ट के द्वारा निर्धारित धन को खर्च करना चाहते थे। 1833 ई0 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा का व्यय की जाने वाली राशि 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष निश्चित कर दी गई। अतः लार्ड मैकाले को धन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उसने अपने ववरण पत्र में ब्रिटिश शिक्षा का समर्थन किया। परिणामस्वरूप लार्ड विलियम बैंटिक ने 7 मार्च, 1835 ई0 को भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया।

शोध–प्रविधिः इस शोध–पत्र के लिए शोध सामग्री अधिकांश रूप में द्वितीयक स्रोतों से ग्रहण की गई हैं। इसमें ऐतिहासिक विश्लेषण व वर्णनात्मक दृष्टिकोण के साथ–साथ शोधकर्त्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को भी स्थान दिया है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं व समाचार पत्रों से प्राप्त की गई हैं।

मैकाले का विवरण पत्र :–

मैकाले ने 1833 ई0 में जनशिक्षा समिति के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उस समय प्राच्य–पाश्चात्य विवाद पूरे जोरों पर चला हुआ था। जनशिक्षा समिति के सदस्य दो धड़ों में बंटे हुए थे। ऐसी स्थिति में मैकाले ने शिक्षा पर स्वयं अपना निर्णय देने का निश्चय किया। उसने 2 फरवरी, 1835 ई0 को अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया और अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय दिया। मैकाले के विवरण पत्र में निम्नलिखित बातें थी–

1. मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के विषय में तर्क दिया कि 1813 ई0 के चार्टर एक्ट में लिखित साहित्य शब्द का तात्पर्य अंग्रेजी साहित्य से है न कि संस्कृत या अरबी साहित्य से। इसी तरह भारतीय विद्वान का अर्थ प्राच्य भाषा और साहित्य के विद्वान से न लगाकर उस विद्वान से लगाया जाए जो जॉन लॉक और मिल्टन के कार्यों से परिचित है।
2. भारत में जो भाषाएं प्रचलित हैं उनमें साहित्यिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान कोष का अभाव हैं भारत की भाषाएं अविकसित और गंवारू है। इनमें महत्वपर्ण ग्रंथों का सरल भाषा में अनुवाद करना कठिन होगा। यह कार्य प्राचीन कार्य के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही किया जा सकता है। उसने भारतीय प्राच्य भाषा का मजाक उड़ाते हुए कहा, ''जबकि हम अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं तब क्या ऐसी भाषाओं को सिखलाएंगे, जिनमें किसी भी विषय पर एक भी पुस्तक ऐसी नहीं जिसकी तुलना हम अपने साहित्य से कर सकें। क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो बहुत निम्न कोटि का है, क्या हम ऐसे चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करेंगे जिससे पशु–चिकित्सकों तक को शर्म आ जाएगी। भारत की ज्योतिष भी तो ऐसी है जिस पर स्कूल की अंग्रेजी लड़कियाँ हंस पड़ेंगी और इतिहास ऐसा है जिसमें 30 फूट लंबे शासकों का वर्णन है तथा भूगोल ऐसा है जिसमें दही और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है।''
3. भारतीय साहित्य को उसने निम्न दर्जे का बताया और कहा कि ''प्राच्यवेताओं में से मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला जो इस बात का खण्डन कर सके कि किसी एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी का एक खाना भारत और अरब देशों के समस्त साहित्य के बराबर है।''
4. भारतीयों का विकास उनकी मातृभाषा से नहीं किया जा सकता। अतः उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी ही सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है।
5. भारत में प्रकाशकों की भाषा अंग्रेजी है और भारत का उच्च वर्ग अंग्रेजी बोलता है।
6. भारतीयों की अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में गहरी रूचि है।
7. प्राच्य भाषाओं (संस्कृत, अरबी एवं फारसी) की शिक्षा के विकास के लिए धन अनुदान में देना पड़ता है जबकि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार से धन की प्राप्ति होती है।
8. संस्कृत तथा अरबी भाषा की पुस्तकों के प्रकाशन से आर्थिक हानि उठानी पड़ती है जबकि पाश्चात्य भाषा की पुस्तकों से अधिक धन लाभ अर्जित किया जा सकता है।

मैकाले के इस विवरण पत्र का एच. टी. प्रिन्सेप ने विरोध किया, परन्तु लार्ड विलियम बैंटिक ने मैकाले के विवरण पत्र का समर्थन किया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू करने का निर्णय ले लिया।

लार्ड विलियम बैंटिक का निर्णय :–

मैकालें के विवरण पत्र पर लार्ड विलियम बैंटिक ने 7 मार्च, 1835 ई0 को एक प्रस्ताव जारी किया जिसके अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा के माध्यम का अनिवार्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रस्ताव के साथ ही आंग्ल–प्राच्य विवाद समाप्त हो गया। इस प्रस्ताव में कहा गया, ''महामहिम गवर्नर जनरल का विचार है कि ब्रिटिश सरकार का महान उद्देश्य भारतवासियों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार करना होना चाहिए और जो धनराशि शिक्षा के लिए रखी गई है, उसका सबसे अच्छा उपयोग अंग्रेजी शिक्षा से ही हो सकता है।'' इसमे यह स्पष्ट कर दिया की प्राच्य भाषा को समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि प्राच्य भाषा के अध्यापकों एवं छात्रों को पहले की भांति अनुदान मिलता रहेगा, परन्तु ज्यादातर धन पाश्चात्य शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। प्राच्य साहित्य का प्रकाशन तुरन्त प्रभाव

से बन्द कर दिया जाएगा। लार्ड विलियम बैंटिक के इस निर्णय से रूष्ट होकर प्रिंसेप तथा मैकनाफटन ने जनशिक्षा समिति की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया।

1835 ई0 से 1854 ई0 तक अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार :–

1835 ई0 से 1854 तक अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार इस प्रकार हुआ।

ऑकलैंड का विवरण पत्र :–

लार्ड विलियम बैंटिक के पश्चात् लार्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसके समय प्राच्यवादियों ने प्राच्य शिक्षा के विकास की मांग गवर्नर जनरल से की, परन्तु ऑकलैंड ने जहां प्राच्यवादियों को आर्थिक सहायता देकर शान्त कर दिया वहीं पर उसने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के विषय में 24 नवम्बर, 1839 ई0 को अपना विवरण पत्र जारी किया। इस विवरण पत्र में उसने निम्न विचार प्रस्तुत किए –

1. प्राच्य भाषा को पहले की भांति अनुदान दिया जाए।
2. प्राच्य विद्यालयों पर धनराशि पहले खर्च की जाएगी और बचा हुआ धन पाश्चात्य शिक्षा पर खच्र किया जाएगा।
3. प्राच्य भाषा के विद्यार्थियों को पहले की भांति छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी।
4. प्राच्य स्कूल चाहे तो अंग्रेजी में भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।
5. प्राच्य शिक्षकों को अधिक वेतन दिया जाए।
6. लाभदायक प्राच्य पुस्तकों के प्रकाशन पर पर्याप्त धन खर्च किया जाएगा।

इस प्रकार ऑकलैंड ने बड़ी चतुराई से प्राच्यवादियों को शान्त कर दिया। वे गवर्नर जनरल की योजना को नहीं समझ सकें। ऑकलैंड ने अंग्रेजी भाषा का प्रसार करने के लिए अतिशीघ्र ही ढाका, पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा आदि में अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की।

अंग्रेजी स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना :–

1835 ई0 से 1854 ई0 के बीच भारत में अनेक अंग्रेजी स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। 1835 ई0 को जन शिक्षा समिति के अधिन केवल 14 स्कूल एवं कॉलेज थे जो 1837 ई0 में बढ़कर 48 तक पहुंच गए। ऑकलैंड ने बंगाल को 9 जिलों मे विभाजित किया और प्रत्येक जिले में एक स्कूल की स्थापना की। 1835 में कलकता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। 1855 ई0 में बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं की संख्या 151 हो गई। जिनमें 13163 छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे।

बम्बई प्रेजीडेंसी में भी अनेक स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना की गई। बम्बई में शिक्षा के प्रसार में बम्बई भारतीय शिक्षा समिति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1840 ई0 में बम्बई में शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। एस्वीन पेरी जो बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, को शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। 1845 ई0 में बम्बई में ग्रांट मेडिकल कॉलेज खोला गया। 1846 ई0 में एलफिन्स्टन इनसटीट्यूट में विज्ञान की उच्च शिक्षा आरम्भ की गई। 1850 ई0 तक बम्बई प्रेजीडेंसी में 10 सरकारी शिक्षा संस्थान थे जिनमें 2000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे।

ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक कॉलेजों की स्थापना की। बम्बई में 1832 ई0 में विल्स कॉलेज, मद्रास में 1987 ई0 में क्रिश्चयन कॉलेज, 1841 ई0 में मछलीपट्टम में नाबल कॉलेज, नागपुर में 1844 ई0 में हिपलप कॉलेज, आगरा में 1853 ई0 में सेंटजॉन्स कॉलेज की स्थापना की गई। इस समय तक अंग्रेजी भाषा ने सरकारी भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया था। अंग्रेजों ने छोटी अदालतों में भी अंग्रेजी भाषा को अपनाने के लिए कहा। मद्रास प्रेजीडेंसी में 19वीं सदी में 1100 स्कूल थे जो मिशनरियों

द्वारा चलाए जा रहे थे। 1845 ई0 में मद्रास में शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई। चोपड़ा, पुरी और दास के अनुसार 1854 ई0 में मद्रास में ईसाई मिशनरियों के 1185 स्कूल थे, जिनमें छात्रों की संख्या, 330000 थी।

1842 ई0 में जनशिक्षा समिति को भंग कर दिया और उसके स्थान पर शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई। 1844 ई0 में गवर्नर जनरल लार्ड हार्डिंग्ज ने घोषणा की कि सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों को महत्व दिया जाएगा। डलहौजी ने भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की नीति को जारी रखा। चोपड़ा, पुरी एवं दास के अनुसारा, ''यह स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा के पास होने के लिए बैकन, जॉनसन, मिल्टन, शैक्सपीय की कृतियों का आलोचनात्मक ज्ञान होना चाहिए और उसके साथ ही प्राचीन और आधुनिक इतिहास, उच्च स्तर के मिश्र गणित, प्राकृतिक इतिहास की मूल बात, नैतिक दर्शन और राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त की जानकारी होनी चाहिए और साथ ही छात्रों में इतिहास, नीति शास्त्र या राजनीतिक अर्थव्यवस्था में से किसी एक विषय पर तुरन्त प्रवाहमय और मुहावरेदार भाषा में लिखने की क्षमता होनी चाहिए। छात्रों को जब ऐसी कठिन प्रणाली का सामना करना पड़ा तो वे हतोत्साहित नहीं हुए। 19वीं शताब्दी के मध्य तक बंगाल में अंग्रेजी भाषा की इच्छा तीव्र होती जा रही थी। यहां तक कि दूर–दूर के गांवों में भी लोगों ने मिलकर स्कूल स्थापित करने और अध्यापकों की व्यवस्था करने तथा सरकारी सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए।''

अंग्रेजी शिक्षा के विषय में चार्ल्स ट्रेवलियन ने भी लिखा है कि, ''अंग्रेजी शिक्षा में तेजी से बाढ़ आई, विद्यालयों की स्थापना के लिए जितनी अर्जियां आती थी उनमें से सभी मंजूर नहीं की जाती थी, इन विद्यालयों में भर्ती होने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि सबको जगह नहीं मिलती थी।''

जहां तक उत्तरी भारत का प्रश्न है यहां शिक्षा की प्रगति कुछ धीमी रही। अवध और बिहार में अंग्रेजी शिक्षा के प्रति जोश ठण्डा था। यही कारण था कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत में विद्यालय बन्द कर दिए गए। इसके स्थान पर आगरा, वाराणसी, दिल्ली, बरेली, अजमेर, पंजाब में अमेरिकन प्रेसवाइटेरियन बोर्ड ने लुधियाना, सहारनपुर, जालंधर, अंबाला, लाहौर, फरूखाबाद आदि स्थानों पर स्कूलों की स्थापना की इनमें अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, बाईबल आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

वुड घोषणा पत्र :–

चार्ल्स वुड जो उस समय बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल के अध्यक्ष थे, ने 1845 ई0 में अंग्रेजी शिक्षा के विषय में एक घोषणा पत्र जारी किया जिसे वुड घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा पत्र की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी –

1. इस घोषणा पत्र के अनुसार शिक्षा के उचित प्रसार तथा उसकी देखभाल के लिए बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तर–पश्चिमी प्रान्त तथा पंजाब में शिक्षा विभाग की स्थापना करने की सिफारिश की गई। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी का पद जन शिक्षा निदेशक का रखा गया। निदेशक की सहायता के अनेक खेत्रों में निरीक्षकों की नियुक्ति करने का प्रावधान रखा गया।
2. कला, विज्ञान तथा साहित्य की परीक्षाएं कराने तथा उपाधियां देने हेतु बड़े–बड़े नगरों में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया जाए।
3. शिक्षा के विस्तृत रूप से बढ़ावा देने के लिए श्रेणीबद्ध स्कूलों की स्थापना की जाए।
4. शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किए जाएं।
5. निजी शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए।

6. शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए अध्यापकों का वेतन बढ़ा दिया जाए।
7. प्राचीन भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए तथा विद्यार्थियों को अंग्रेजी ज्ञान हो जाने पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया जाए।
8. योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
9. अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए।
10. स्त्री शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाएं खोली जाएं और मुस्लिम कन्याओं को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
11. व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की भी स्थापना की जाए।

वुड घोषणा पत्र शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी कदम था। डॉ0 ताराचंद के अनुसार, ''इसमें यह बात दोहराई गई है कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और भौतिक लाभें का विस्तार, बौद्धिक उन्नति, सरकारी नौकरियों के लिए विश्वस्त तथा ईमानदार आदमी तैयार करना, देश के साधनों के विकास की इच्छा उत्पन्न करना और धन तथा व्यापार में वृद्धि करना था और साथ ही हमारे कारखानों के लिए कच्चा माल और हमारे सभी वर्गों के बहुत अधिक काम में आने वाली बहूत–सी जरूरी चीजों की पूर्ति करना, साथ ही ब्रिटेन में बनी चीजों के लिए, बढ़ती हुए मांग उत्पन्न करना है।'' उसने आगे लिखा है कि, ''वुड ने शिक्षा के स्वरूप पर वाद–विवाद को इन शब्दों में अन्तर्निहित कर दिया, हमें बहुत जोरों से यह घोषणा करनी चाहिए कि हम जिस शिक्षा को भारत में फैलाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यूरोप की कला, विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा साहित्य का, दूसरे शब्दों में यूरोपीय ज्ञान का प्रचार है।'' घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि, ''इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा तथा भारत की देशी भाषाएँ दोनों यूरोपीय ज्ञान के प्रचार का माध्यम बनेंगी।''

1854 ई0 से 1857 ई0 तक शिक्षा का विकास :–

वुड घोषणा पत्र के पश्चात् भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बहुत तीव्रता से हुआ। 1857 ई0 तक अंग्रेजी भाषा के स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। 1857 ई0में बंगाल में 15, उत्तर–पश्चिमी प्रान्त में 5, मद्रास में 4 और बम्बई में तीन कॉलेज थे। 1857 ई0 में ही कलकता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई।

निष्कर्ष :–

निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास में लार्ड मैकाले तथा ऑकलैंड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1854 ई0 में वुड डिस्पेच से तो बिल्कुल निश्चित हो गया कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. Dharam Kumar (Ed.), The Cambridge Economic History of India, Vol. II
2. Dodwell, H.H. (Ed.), The Economic History of India, Vol. VI.
3. Dutt, R.C., The Economic History of India, 2 Vots.
4. Grover, B.L., Curzon and Congress (I.C.H.R.).
5. Iibert, C.P., The Government of India.
6. Spear, Percival., The Oxford History of India.

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 12
September 2017

7. Strachey, John, India Its Administration and Progress.
8. Dayal B., The Development of Modern Indian Education (1953).
9. Mukerjee, S.N., History of Education in India (1957).
10. Nurullah and Naik, History of Education in India during the British Period (1956).
11. Report of the Radhakrishanan Commission on University Education (1949).
12. Report of the Kothari Education Commission (1966)
13. Basu, Aparna, Growth of Education and Political Development in India. 1895-1920.
14. Challenge of Education a Policy Perspective, 1985.